

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.)/सं.प.अ./ 121 /2022

दिनांक : 14.09.2022

श्रीमती डिम्पल जण्डेल (RJ0807), प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, बून्दी को दिनांक 15.09.2022 से 21.09.2022 तक 07 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती जण्डेल की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, बून्दी के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/89/2013/6247

दिनांक : 14.09.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बून्दी को उनके पत्रांक 1742 दिनांक 01.09.2022 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती डिम्पल जण्डेल (RJ0807), प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, बून्दी।
4. प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, बून्दी।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी।

14.9.2022
सहायक रजिस्ट्रार